कार्यालय, जिला पचांयत–जौनपुर।

पत्रांक– 1168 /जि0पं0का0/2019–20, दिनांक : 18 दिसम्बर, 2019

(मुहर: कार्यालय जिला पंचायत, जौनपुर)

अनुमति–पत्र

डा0 अभय प्रकाश मिश्रा, प्रबन्धक, राजकुमारी राममूर्ति फाउण्डेशन, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट कुडडा, तहसील सदर, जनपद जौनपुर के अर्न्तगत राममूर्ति इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट कुडडा, तहसील सदर, जनपद जौनपुर के मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2019 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उन्हे निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के आधार पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को, प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाती है:–

1. स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य करना होगा अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वयं निरस्त समझी जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
2. स्वीकृति की अनुज्ञा अगले पॉच वर्ष तक वैध है। पॉच वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण न होने का पर्याप्त कारण बताने पर उक्त अवधि को दो वर्ष के लिए (किन्तु एक बार में एक वर्ष तक) बढ़ाया जा सकता है। नवीनीकरण प्रार्थना–पत्र स्वीकृत अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व देना होगा।
3. यदि किसी प्रकार सचांर भूमिगत लाइन, टेलीफोन, वाटर पाइप आदि की लाइनो पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो तो वह स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
4. अपर मुख्य अधिकारी/अभियन्ता जिला पचांयत किसी भी समय भवन/निर्माण की छानबीन/निरीक्षण कर सकेंगे। निरीक्षण के समय मानचित्र प्रस्तुत करना होगा।
5. किसी भी विद्युत तार/लाइन के नीचे निर्माण नही करना होगा एंव सड़क/गली/नाली/नाला पर अतिक्रमण नही किया जाएगा।
6. भू–स्वामित्व का दायित्व प्रार्थी पर होगा। मानचित्र स्वीकृति के आधार पर भू–स्वामित्व का हक नही प्राप्त होगा। भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल पर दी गयी स्वीकृति, किसी भी समक्ष न्यायालय के अधीन होगी।
7. भू–स्वामित्व अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति की जानकारी होने पर मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा तथा तद्नुसार किया गया निर्माण अनाधिकृत माना जाएगा।
8. भवन निर्माण में अग्निशमन हेतु मानको के अनुरूप प्रबन्ध करने का दायित्व प्रार्थी पर होगा।

संलग्नक : एक प्रति स्वीकृति मानचित्र।

18/12/2019

अ० अभियन्ता,
जिला पंचायत, जौनपुर।
(मुहर: अवर अभियन्ता, जिला पंचायत–जौनपुर)

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, जौनपुर।
(मुहर: अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत–जौनपुर)